/font>

Title: Need to review registration fee charged on funds being provided to recognised schools/institutions from M.P. Local Area Development Scheme in Uttar Pradesh particularly in Phulpur parliamentary constituency- Laid.

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सांसद निधि से मान्यता प्राप्त विद्यालयों/संस्थाओं/ट्रस्टों/पंजीकृत सोसायटियों को भवन निर्माण या अन्य स्थायी सम्पत्ति के निर्माण हेतु दिये जाने वाले धन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन संस्थाओं को निर्माण कार्य के लिए धन स्वीकृत होने से पहले सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भेजे गए समझौता प्रारूप के आधार पर 10/-रू0 के स्टाम्प पेपर पर भारतीय पंजीकरण अधिनियम के खंड 17 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सामान्य पंजीयन कराना होता है परन्तु उत्तर प्रदेश में, विशेाकर जिला इलाहाबाद में स्टाम्प आयुक्त उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय, लखनऊ के निदेश पर 70/- रूपये प्रति हजार का स्टाम्प शुल्क व 2 से 3 प्रतिशत तक पंजीयन शुल्क विद्यालयों/संस्थाओं से लिया जा रहा है, जो केन्द्र सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को दिए गए निर्देश के अनुरूप नहीं है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार व स्टाम्प आयुक्त शिविर कार्यालय, लखनऊ को एवं जिला कलेक्टरों को 70/- रूपये प्रति हजार स्टाम्प पेपर व 2 से 3 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लेने से रोकने तथा 10 रूपये के गैर न्यायिक पेपर पर पंजीयन करके धन स्वीकृत करने का आदेश जारी करने का कट करें। जिससे मेरे फूलपुर संसदीय क्षेत्र व अन्य संसदीय क्षेत्रों में मान्यताप्राप्त विद्यालयों एवं संस्थाओं में रूके हुए विकास कार्य प्रारंभ हो सकें।